सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 13.07.2024

जनपद –आजमगढ़

01.थाना- कोतवाली: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 11.07.2024 को उ0नि0 अजय सिंह,उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभि. 1. अमन पाठक पुत्र स्व0 कृष्णामणि पाठक, 2. आदित्य पाठक उर्फ गोलू पुत्र स्व0 गिरजा पाठक नि0 पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़ को प्राइवेट बस अड्डा तिराहा से समय 20.45 बजे गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 1 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 317(2),318(4),336(3),338,340(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

02.थाना निजामाबाद: चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये रूपये के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण

थाना स्थानीय पर निम्नलिखित चोरी की घटनाएं-

➡दिनांक 05.05.24 को वादी रणकेश वर्मा पुत्र गणराज सा0 नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ के दुकान के काउण्टर का ताला तोडकर लगभग पाँच हजार रु0 चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 201/24 धारा 457/380 IPC, पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 17.05.24 को वादी कुलदीप यादव पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद यादव निवासी अगसड़ा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ द्वारा मन्दिर के पेटिका मे रखा लगभग 02 हजार रुपया चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 224/24 धारा 380 IPC, पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 12.06.24 को वादी संदीप कुमार गुप्ता पुत्र हृदय नरायन गुप्ता निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा शिव मन्दिर में रखी प्रतिमा को गायब कर पूजा की सामग्री व वर्तन भी चुरा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 272/24 धारा 380 IPC पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 11.07.24 को वादी सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 जयगुन ग्रा0 रघुनाथपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी की नियति से घर में घुसने के संबन्ध में मु0अ0सं0 336/24 धारा 305, 62, 115(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 12.07.24 उ0नि0 चन्द्रजीत यादव, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय , उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त प्यारेपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को असनी नहर पुलिया के पास से समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

03. थाना देवगांव: विभिन्न घटनाओ को अंजाम देने वाले 03 मोबाइल चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक व मोबाइल (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये) व अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

आवेदक हरिनाथ पुत्र मिश्रीलाल विश्वकर्मा सा0 सिकरौरा थाना देवगाँव आजमगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2024 को आवेदक का भाई नटवर लाल जो घाट के लिए चार पाई लेकर देवगाँव बाजार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते मे दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल से आकर झपट्टा मारकर वादी के भाई का मोबाईल लेकर भाग जाना तथा वादी के भाई के गिरने के कारण कुल्हे की हड्डी टूट जाने तथा बदमाशो के पास असलहा होने के कारण कुछ नही कह पाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/2024 धारा 307 बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 गौरव कुमार सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र, निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय व उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीकान्तपुर गेट पर मौजूद होकर चेकिंग के दौरान गोड़हरा की तरफ से एक मोटर साईकिल काफी तेज गति से आती हुयी दिखायी दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया, बाइक सवार पुलिस को देखकर बाइक मुड़ाकर भागना चाहे, लेकिन बारिश होने के कारण रोड़ पर मोटर साइकिल फिसल गयी और पीछे बैठा व्यक्ति असलहा निकाल कर पुलिस वालो को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से एक फायर कर दिया। इसी बीच समस्त पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से फील्ड क्राफ्ट में सिखलाये गये तरीके से घेराबन्दी कर बदमाशो को पुनः असलहा लोड़ करने का मौका दिये बिना आवश्यक बल प्रयोग कर पकडें और हमराहीयान की मदद से भाग रहे तीनो बदमाशो को 40-50 कदम जाते जाते पकड लिया गया।

➡पकडे गये बदमाशों 1. शिवप्रसाद सरोज पुत्र दलसिंगार सरोज निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक अदद .315 बोर का नाजायज देशी तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस .315, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 मोबाईल, 2. प्रदीप राजभर पुत्र स्व0 जयनाथ राजभर निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को 03 अदद मोबाईल तथा 3. वि सरोज पुत्र बच्चन निवासी घाटमपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद मोबाईल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡पकडे गये अभियुक्त शिवप्रसाद उपरोक्त का जुर्म 379,411 भादवि0 व धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 270/2024 धारा 307,317(2) बीएनएस तथा अभियुक्त प्रदीप राजभर उपरोक्त का जुर्म धारा 109 बीएनएस व धारा 379,411 व मु0अ0सं0 270/2024 की धारा 307,317(2) बीएनएस व रवि सरोज उपरोक्त का जुर्म धारा 379,411 भादवि0 व धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसा **समय करीब 02.20 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया।

जनपद –मऊ

01. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास रू 20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-07-2024 को मु0अ0सं0 406/2014 धारा 354क, 506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्त ओमवीर यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मूसेपुर बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं रू 20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व रू7,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-07-2024 को मु0अ0सं0 2305/09 धारा 323,376,506,511 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी बड़की बारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं रू7,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

1. **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 (अट्ठारह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

दिनांक 12.07.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/16 धारा 363,366 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त 1. पिन्टू कुमार पुत्र सूरज राम निवासी मिश्रनेउरी थाना कोतवाली जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया द्वारा-

धारा-4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा-366 भादवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा-363 भादवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000 (तीन हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न जमा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

2. **थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म/धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बाँसडीह महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.07.2024 को थानाध्यक्ष बांसडीह रोड श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय फोर्स द्वारा थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2024 धारा 420/328/354B/376/511 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र राम अयोध्या यादव निवासी यारपुर बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया को समय 20.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसे नियमानुसार दिनांक 11.07.2024 को मा0 न्यायालय भेजा गया।

संबंधित मुकदमा-

1. मु0अ0सं0 168/2024 धारा 420/328/354B/376/511 भादवि थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील यादव पुत्र राम अयोध्या यादव निवासी यारपुर बेदुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया

3. **थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बाँसडीह महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.07.2024 को थाना बांसडीहरोड पुलिस टीम के उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह मय फोर्स द्वारा मा0 न्याया0 ए0एस0जे0 एफ0टी0सी द्वितीय बलिया एसटी नं0 2090/21 धारा 340 द0प्र0सं0 से संबंधित 02 नफर वारन्टी अभियुक्त 1.विजय यादव पुत्र स्व0 सखी यादव उम्र करीब 65 वर्ष 2. सिरोज अंसारी पुत्र स्व0 बकरीदन अंसारी उम्र 56 करीब वर्ष निवासीगण ग्राम बड़की शेरिया थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया को उनके घर से गिरफ्तार किया गया व नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।

नोट- उक्त मुकदमें से संबंधित वारन्टी (1) रोजादीन पुत्र स्व0 रमजान मिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

संबंधित मुकदमा-

1. एसटी नं0 2090/21 धारा 340 द0प्र0सं0

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विजय यादव पुत्र स्व0 सखी यादव उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम बड़की शेरिया थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया
2. सिरोज अंसारी पुत्र स्व0 बकरीदन अंसारी उम्र 56 करीब वर्ष निवासी ग्राम बड़की शेरिया थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया